इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 जनवरी 2020—पौष 24, शक 1941

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2020

क्र. 942-14-इक्कीस-अ(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 10 जनवरी 2020 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ४ सन् २०२०

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०१९

[दिनांक १० जनवरी, २०२० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक १४ जनवरी, २०२० को प्रथम बार प्रकाशित की गई.]

मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१९ है.

प्रथम अनुसूची का संशोधन. २. मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, १९९१ (क्रमांक २५ सन् १९९१) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की प्रथम अनुसूची में,—

(एक) मद पांच माल यान में,—

(क) उप-मद (१) में, अंक "२८०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किया जाए;

(ख) उप-मद (२) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-मद स्थापित की जाए, अर्थात्:—

"(२) ऐसे माल यान पर, जो १ अक्टूबर, २०१४ से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत हैं और जिनकी क्षमता १२००० किलोग्राम से अधिक है, कर निम्नानुसार होगा:—

(क)	१२००० किलोग्राम से अधिक किन्तु १३००० किलोग्राम से अधिक नहीं है.	रुपए ३४०० प्रति तिमाही
(ख)	तत्पश्चात् प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए.	रुपए ३५० प्रति तिमाही

स्पष्टीकरण.—कर की उपरोक्त दर १ अक्टूबर, २०१९ से प्रभावी समझी जाएगी.";

(दो) उप-मद (३) में, स्पष्टीकरण २ का लोप किया जाए;

(तीन) मद नौ अंतरण कर में, उप-मद (दो) में, खण्ड (३) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:—

"(३) माल यान

(क)	पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष तक के पुराने यान.	सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ५००.
(ख)	पंजीयन की तारीख से ५ वर्ष से अधिक परन्तु ८ वर्ष से कम पुराने यान.	सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये ३००.
(ग)	पंजीयन की तारीख से ८ वर्ष से अधिक पुराने यान.	सकल यान भार के प्रत्येक १००० किलोग्राम या उसके भाग के लिए रुपये २००.".

द्वितीय अनुसूची का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में, मद ७ में, टिप्पणी में, अंक "२८०००" के स्थान पर, अंक "१२०००" स्थापित किए जाएं.

भोपाल, दिनांक 14 जनवरी, 2020

क्र. 942-14-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2019 (क्रमांक 4 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2020

THE MADHYA PRADESH MOTORYAN KARADHAN (DWITIYA SANSHODHAN) VIDHEYAK, 2019

[Received the assent of the Governor on the 10th January, 2020; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 14th January, 2020.]

A Bill Further to amend the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventieth year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2019.

Amendment of First Schedule. 2. In the First schedule to the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991) (hereinafter referred to as the principal Act),-

(i) in item V GOODS CARRIAGE,-

(a) in sub-item (1), for the figure "28000", the figure "12000" shall be substituted;

(b) for sub-item (2), the following sub-item shall be substituted, namely :-

"(2) Tax on such goods carriage which are registered in the State of Madhya Pradesh before 1st October, 2014 and which are having a capacity of more than 12000 kilograms shall be as follows:-

(a)	more than 12000 kilogram but not exceeding 13000 kilogram.	Rs. 3400 per quarter
(b)	thereafter on every 1000 kilogram or part thereof.	Rs. 350 per quarter

Explanation.- The above rate of tax shall be deemed to be effective from 1st October, 2019.";

(ii) in sub-item (3), explanation 2 shall be omitted;

(iii) in item IX TRANSFER TAX, in sub-item (ii), for clause (3), the following clause shall substituted, namely :—

"(3) Goods Carriage,-

(a)	up to 5 years old vehicles from the date of registration.	Rs. 500 for gross vehicle weight for every 1000 kilograms or part thereof.
(b)	more than 5 years but not more than 8 years old vehicles from the date of registration.	Rs. 300 for gross vehicle weight for every 1000 kilograms or part thereof.
(c)	more than 8 years old vehicles from the date of registration.	Rs. 200 for gross vehicle weight for every 1000 kilograms or part thereof.".

Amendment of Second Schedule.

3. In the Second Schedule to the principal Act, in item 7, in the note, for the figure "28000", the figure "12000" shall be substituted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2020.